**भारत सरकार** **लोक सभा**
**वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय** **अतारांकित प्रश्न सं.2344**
**वाणिज्य विभाग**

**दिनांक 21 दिसंबर, 2022 को उत्तर दिए जाने के लिए**

**कृषि निर्यात नीति**

**2344. श्री श्रीधर कोटागिरी :**
**श्री संजय काका पाटील :**
**श्री पोचा ब्रह्मानंद रेड्डी :**

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कृषि निर्यात नीति को कार्यान्वित कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए निर्धारित लक्ष्यों, समय-सीमा और उपलब्धियों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने कृषि निर्यात नीति के कार्यान्वयन में सुधार के लिए संबंधित हितधारक के साथ परामर्श आयोजित करने के लिए कोई कदम उठाए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**उत्तर**
**वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री**
**(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)**

(क) से (घ) जी हाँ। सरकार ने 2018 में एक व्यापक कृषि निर्यात नीति (एईपी) प्रस्तुत की थी, जो कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए की जा रही गतिविधियों का आधार बनती है। कृषि निर्यात 2019-20 में 35.58 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2021-22 में 50.20 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है, जो 18.78% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) दर्ज करता है। सरकार ने एईपी को क्रियान्वित करने और कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए राज्य/जिला स्तर पर कई कदम उठाए हैं। राज्य विशिष्ट कार्य योजनाएं तैयार की गई हैं और कई राज्यों में राज्य स्तरीय निगरानी समितियां (एसएलएमसी), कृषि निर्यात के लिए नोडल एजेंसियां और क्लस्टर स्तरीय समितियों का गठन किया गया है। निर्यात को बढ़ावा देने के लिए देश और उत्पाद-विशिष्ट कार्य योजनाएं भी तैयार की गईं हैं। सरकार एईपी के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए प्रस्तावित निर्यात हब पहल के रूप में जिला का उपयोग करने की प्रक्रिया में भी है। निर्यात हब के रूप में जिला पहल के तहत, राज्य सरकारों सहित हितधारकों के परामर्श से देश भर के सभी 733 जिलों में निर्यात क्षमता वाले कृषि उत्पादों सहित उत्पादों की पहचान की गई है। 28 राज्यों/संघ राज्य

क्षेत्रों में राज्य निर्यात रणनीति तैयार की गई है। डीईएच पहल के तहत बनाया गया संस्थागत ढांचा हितधारकों के साथ नियमित परामर्श के लिए एक मंच प्रदान करता है।

कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा), वाणिज्य विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक स्वायत्त संगठन है, जिसे कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने का अधिदेश है। एपीडा अपनी निर्यात संवर्धन योजना के विभिन्न घटकों के तहत निर्यातकों को सहायता प्रदान कर रहा है।

वाणिज्य विभाग निर्यातों, जिनमें कृषि उत्पादों का निर्यात भी शामिल है, को बढ़ावा देने के लिए बाजार पहुँच पहल (एमएआई) योजना, एपीडा की निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं और समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एम्पीडा) आदि के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

इसके अलावा, किसानों, किसान-उत्पादक संगठनों (एफपीओ) और सहकारी समितियों को निर्यातकों के साथ बातचीत करने के लिए एक मंच प्रदान करने के लिए एक किसान कनेक्ट पोर्टल विकसित किया गया है। निर्यात-बाजार लिंकेज प्रदान करने के लिए क्लस्टरों में क्रेता-विक्रेता बैठकें (बीएसएम) आयोजित की गई हैं। निर्यात के अवसरों का आकलन और दोहन करने के लिए विदेशों में भारतीय मिशनों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नियमित बातचीत की गई है। भारतीय मिशनों के माध्यम से देश विशिष्ट बीएसएम भी आयोजित किए गए हैं।

*********